2018/00252

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 15/2018 (रसद अपील)

मैसर्स सत्यनारायण जाट प्राधिकृत विकेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चौरू तहसील फागी जिला जयपुर जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 15.01.218 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 236/2017

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. पेरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर

निर्णय दिनांक 26-11-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकृत विकेता है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्रात पंचायत चौरू के वार्ड नम्बर 11 से 15 के लिए प्राधिकार पत्र 20/2000 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निर्बन्धनों एवं राज्य व केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई–सूची में दर्ज राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को डिजीटल राशनकार्ड या आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा गठित जांच दल ने दिनांक 11.10.2017 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर, जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र एक तरफा आदेश द्वारा दिनांक 26.10.2017 को अग्रिम आदेश तक के लिए निलम्बित करने के आदेश दिये तथा अपीलार्थी को नोटिस दिनांक निल जारी किया गया। जिसमें अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर तथाकथित अनियमिततायें पाये जाने का उल्लेख किया गया–(ए) उचित मूल्य दुकान का संचालन चौरू में छापरी मार्ग पर तालाब के सामने मुवाल भवन स्वयं आपके घर पर से होना पाया गया, किन्तु आपके द्वारा प्राधिकार पत्र एवं मौका नक्शा वास्ते जांच प्रस्तुत नहीं किया गया (बी) आपके पास कुल 53 कट्टे लगभग 26.50 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया। (सी) उचित मूल्य दुकान पर माह सितम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 ते 1700 किलोग्राम चीनी की आपूर्ति की गई तथा इस अवधि में

पोस मशीन से डीलर द्वारा 1651 किलोग्राम चीनी का वितरण किया गया । जबकि भौतिक सत्यापन पर चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार डीलर के द्वारा कुल 49 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अपीलार्थी दिनांक 8.11.2017 व 17.11.2017 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ लेकिन अपीलार्थी को जांच दल की रिपोर्ट, निरीक्षण पर्चा मौका की प्रति नकल हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी मूल दस्तावेज पत्रावली में शामिल ना होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी दिनांक 28.12.2019 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तब रीडर द्वारा बिना लिखी आर्डशीट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करा लिये तथा आगे की तारीख पेशी की सूचना भेजी जाने को कहा। अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रत्युत्तर नोटिस लेकर दिनांक 29.01.2018 को उपस्थित हुआ तो अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 15.01.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का एक तरफा आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश 1976 के खण्ड 22 (2) के तहत उक्त निर्णय की कोई सूचना या प्रति नही दी गई। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसा कथन अंकित कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थी को नाटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.10.2017 व 15.10.2017 की काफी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही नोटिस के संलग्नल प्रेषित की गई । जबकि निरीक्षक की प्रति अपीलार्थी को न्यायहित में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था। जैसा कि माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1988 ई एफ आर के पेज नम्बर 475 शहादत हुसैन बनाम सब डिविजन कन्ट्रोल एण्ड फूड सप्लाई कटवा के पैरा 10 एवं 2008 (2) ईफआर 298 राजपाल सिंह बनाम स्टेट आफ यूपी एण्ड अदर्स में सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है। अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र में उचित मूल्स दुकान का पता दुर्गादेवी पत्नी श्री श्योबक्स चौरू के मकान में स्थित दुकान है जो कि श्रीमती दुर्गा देवी ने दिनांक 19.09.2016 को श्रीमती अनुस्या पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चारण निवासी चौरू को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिये जाने के कारण खाली करवाने के कारण अपीलार्थी ने उचित मूल्य दुकान का संचालन छापरी मार्ग पर तालाब के सामने मुवाल भवन से करना शुरू कर दिया। प्राधिकार पत्र व मौका नक्शा वास्ते संशोधन दिनांक 07.10.2016 को विभाग जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जो संशाधिक हो कर वापिस प्राप्त नही हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी की कोई अनियमितता नहीं रहीं । अपीलार्थी की दुकान पर सांगानेर कय विकय सहकारी समिति लि॰ से सितम्बर 2016 से मई 2017 तक 131308 किग्रा गेहूं प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त माह सितम्बर अक्टूम्बर 2017 में 27774 किग्रा गेहूं प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैसर्स पूजा स्वयं सहायता समूह उचित मूल्य दुकान चौरू से अक्टूबर 2017 में 58.32 क्विंटल अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बहाल किये जाने पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर 164914 किग्रा गेहूं हुआ। जिसमें से 11.10.2017 तक 148445 किग्रा गेहूं को पोस मशन पर कोर्ड 14319 द्वारा वितरण किया गया। जिसे निरीक्षणकर्ताओं

जिला कलक्टर
जयपुर

ने सही मान कर अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। प्राप्त गेहूं आमद 146914 किग्रा गेहूं में से वितरण 148445 किग्रा गेहूं घटाने पर 16409 किग्रा॰ गेहूं अवशेष रहा जिसमें से पोस मशीन संख्या 14319 खराब होने पर तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक के निर्देश पर माह फरवरी 2017 में 690 किग्रा गेंहूं मैसर्स पूजा स्वयं सहायता समूह की पोश मशीन संख्या 14318 मे डाल कर उपभोक्ताओं को वितरण किया गया। इस प्रकार 1215 किग्रा गेहूँ स्थानान्तरण व वितरण हो जाने पर अवशेष गेहूं की मात्रा 15254 किग्रा रही जिमें से 12157 किग्रा गेहूँ विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक के निर्देशानुसार वेद प्रकाश पारीक उचित मूल्य दुकान सेतरिया को स्थानान्तरित कर सम्भला दिया। जिसकी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। 2650 किग्रा गेहूं विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से जांच रिपोर्ट तैयार कर जब्त कर लिया गया। जिसके अभिग्रहित व सिपुर्दगीनामा की फर्द पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास 447 अवशेष होना चाहिये था। सांगानेर क्रय विक्रय सहकारी समिति से जो गेहूँ प्राप्त हुआ उसमें 447 किग्रा॰ गेहूं की छीजत प्राप्त हुई ,जो कि शासन सचिव खाद्य विभाग के परिपत्र दिनांक 17.02.1973 तथा 25.11.213 के अनुसार उक्त छीजत अनुज्ञेय सीमा में है। अपीलार्थी की दुकान पर माह सितम्बर 2016 से अक्टूम्बर 2016 तक 1700 किलाग्राम चीनी की आपूर्ति की गई जिसमें से पोस मशीन के माध्यम से 1651 किलोग्राम चीनी का वितरण किया गया था। इस प्रकार कुल 49 किग्रा चीनी अवशेष बची, जो वक्त निरीक्षण दुकान पर उपलब्ध थी। लेकन निरीक्षणकर्ताओं ने उसका भौतिक सत्यापन नही किया। जबकि वक्त निरीक्षण गवाहों की मौजूदगी में बतला दिया गया था। वास्ते साक्ष्य गवाह पोखर मल चौधरी व केशर लाल का शपथ पत्र संलग्न है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में यह वर्णित नहीं किया कि अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है। जैसा कि 2008 (2) ई एफ आर 601 स्टेट आफ उडिसा बनाम अशोक कुमार साहू में प्रतिपादित किया गया है । अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र एवं जब्त धरोहर राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर के पास 26.50 क्विंटल गेहँ अधिक पाया गया है तथा 49 किलोगोम चीनी का दुरूपयोग किया गया है। डीलर द्वारा जबाब प्रस्तुत किये जाने हेतु बार बार समय की मागी की गई। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो की अनियमितता किये जाने का दोषी पाये जाने के कारण उसकी धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.12.2017 के अनुसार डीलर को जबाब पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर दिनांक 15.01.2018 की तारीख पेशी नियत की गई है, परन्तु नियत तारीख पेशी 15.01.2018 को प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल किया गया । इस प्रकार अपीलार्थी को जबाब व बहस हेतु युक्ति युक्त समय नहीं

जिला कलक्टर
जयपुर

दिये जाने के कथन को बल मिलता है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिंया जाकर नये सिरे से आदेश पारित करे।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल नातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 26-11-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर